राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- प.6(5)राज-6/98/16 जयपुर, दिनांक:- 11.5.98

-: अ धि सू च ना :-

============

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या-15 वर्ष 1956) की धारा 26 की उप-धारा (1) सपठित धारा 260 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (1) एवं अधिसूचना क्रमांक प.5(21)राज-4/80/35 दिनांक 4.9.82 यथा संशोधित के तहत नामान्तरकरण के मामलों को निर्णित करने की ग्राम पंचायत की शक्तियों का प्रयोग ग्राम पंचायतों के स्थान पर समस्त तहसीलदार एवं समस्त नायब तहसीलदार द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर किया जायेगा ।

यह अधिसूचना 20.5.1998 से दिनांक 30.6.1998 तक प्रभावशील रहेगी ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(के० पी० सिंघल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव मुख्य मंत्री / राजस्व मंत्री महोदय ।
2. निजी सचिव मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, राजस्व ।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
4. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर ।
6. निदेशक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 11.5.98 में प्रकाशनार्थ ।
7. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
8. " राविरा " राजस्व मण्डल, अजमेर ।
9. समस्त सहायक कलेक्टर, राजस्थान ।
10. अतिरिक्त निबन्धक, राजस्वमण्डल अजमेर (वित्त एवं लेखा)
11. संबंधित अधिकारी ।
12. रक्षित पत्रावली ।

सहायक विधि परामर्शी

मनोज/